सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी—रामनिवास जाट, आर.ए.एस

अपील संख्याः 106/12 **निर्णय दिनांकः 19.06.2019**

1. गफूर खॉ पुत्र सम्मे खॉ जाति मुसलमान निवासी चक 9 केएलडी तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।
2. मु. सरवर पत्नी सम्मे खॉ जाति मुसलमान निवासी चक 9 केएलडी तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।
3. अनवर पत्नि गफूरखॉ जाति मुसलमान निवासी चक 9 केएलडी तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।

—अपीलांट्स

—बनाम—

1. मुमताज पुत्र सम्मे खॉ जाति मुसलमान निवासी चक 9 केएलडी तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।
2. सायरा खातून पुत्री सम्मेखॉ जाति मुसलमान निवासी 10 डीएल तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
3. बसाखातून पुत्री सायबा खातून जाति मुसलमान निवासी 45 एलकेडी तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।
4. सहदाखातून पुत्री सम्मे खॉ निवासी 18 आरजेडी तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।
5. हबीब खॉ पुत्र दीने खॉ जाति मुसलमान निवासी चक 9 केएलडी तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।
6. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, खाजुवाला।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 05—07—2012
उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला

उपस्थितः—

1. श्री श्यामदीन पडिहार, अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री महेश सुथार, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट् संख्या 3 व 4
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर के आदेश दिनांक 05—07—2012 जिसके द्वारा अपीलांट्स का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट की संयुक्त पैतृक भूमि वाके रोही ग्राम कुण्डल तहसील खाजुवाला में 27 बीघा 14 बिस्वा भूमि जिसके हाल चक नम्बर 9 केएलडी के मुरब्बा नम्बर 218/59 के किला नम्बर 1 ता 25, चक 9 केएलडी के मुरब्बा नम्बर 218/51 के किला नम्बर 23 ता 25 कुल तादादी 27 बीघा 14 बिस्वा भूमि स्थित है। जिस पर अपीलांट का जन्म से अधिकार निहित है तथा अपीलांट पारिवारिका बंटवारें के अनुसार अपने धारण की भूमि पर काबिज काश्त है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादपत्र व धारा 212 आरटीए का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 13—12—2011 को प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में मानते हुए वादग्रस्त भूमि क बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई। तत्पश्चात् अपीलाधीन आदेश के माध्यम से पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को वेकेट करने के आदेश प्रदान किये गये है। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में बताया कि वादगत् भूमि एक संयुक्त खाते की पैतृक भूमि है। जिस पर अपीलांट पारिवारिक बंटवारें के तहत अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है। रेस्पोडेन्ट उक्त संयुक्त खाते की भूमि को अन्य व्यक्ति को विक्रय करने पर अमादा है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट को भूमि विक्रय करने से वर्जित किया जावे तथा भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखने के आदेश प्रदान किये जावे।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में प्रकरण की स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह माना कि प्रथम दृष्टया मामला अपीलांट/प्रार्थी के पक्ष में साबित है तथा दिनांक 13—12—2011 को वादग्रस्त भूमि को अन्य किसी के बेचान नहीं करने व मौके व रिकार्ड की यथास्थिति के आदेश प्रदान किये गये। तत्पश्चात् अपने उक्त दृष्टिकोण के विपरीत जाकर अपीलांट/प्रार्थी का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज करने में कानूनी त्रूटि कारित की गई है।

चूंकि वादगत् भूमि पैतृक भूमि है तथा मुस्लिम विधि के तहत पुश्तैनी भूमि अपीलांट का जन्म से ही अधिकार, हक व हिस्सा होता है तथा पुश्तैनी भूमि का बिना सहमति के विक्रय या हक परित्याग नहीं किया जा सकता। उक्त आश्य का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए में प्रस्तुत करने पर अदालत मातहत द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन महत्वपूर्ण इनग्रिडियेन्टस प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति आदि की कोई विवेचना अपने आदेश में नहीं की गई है। प्रकरण में अपीलांट की मौका पर पारिवारिक बंटवारें के अनुसार ढाणी बनी हुई है तथा उसने जमीन को कड़ी मेहनत से सुधार कर काबिल काश्त बनाया है। अदालत मातहत द्वारा इस महत्वपूर्ण तथ्य को नजरअंदाज करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। लिहाजा अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 ने अपनी बहस में बताया कि वादगत् भूमि एक संयुक्त खातेदारी की भूमि है। जिस पर अपीलांट व रेस्पोडेन्ट का विधिवत हिस्सा कायम है। अदालत मातहत द्वारा चूंकि वादगत् भूमि एक सुंयक्त खाते की भूमि है जिस पर सभी सह खातेदार अपने अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए ही आदेश पारित किये गये है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे। शेष रेस्पोडेन्ट को रजिस्टर्ड डाक से सम्मन भेजे जाने पर भी वे उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही की गई।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. प्रस्तुत मामलें में परीक्षण न्यायालय की पत्रावली में शामिल दस्तावेजों के अनुसार विवादित भूमि सुमे खॉ पुत्र सुजावल खॉ की खातेदारी भूमि थी। सुमेखॉ की मृत्यु के उपरान्त रेस्पोडेन्ट मुमताज खॉ द्वारा अपने पक्ष में 15 बीघा की वसीयतय दर्शाकर दिनांक 19—05—2010 को नामान्तरणकरण स्वीकृत करवा लिया गया जो बाद में निरस्त कर दिया गया तथा समेखॉ के वारिस सरवर खातून, सईदा, गफूर खॉ, मुमताज, सायरा तथा वसाखातून के नाम से विरासतन नामान्तरणकरण स्वीकृत किया गया। मृतक खातेदार सुमेखॉ की विरासत को लेकरे हुए विवाद के पश्चात् दिनांक 12—10—2010 को पक्षकारों के मध्य आपराधिक प्रकरण दर्ज हो चुके थे तथा मामलें न्यायालयों में विचाराधीन थे। इसी दौरान कुछ सहखातेदारों द्वारा एक दूसरे को उसके विरासतन हकों से वंचित करने के लिए भूमि के विक्रयपत्रों तथा हकत्याग के दस्तावेजों का निष्पादन करवाया गया जिनके आधार पर तहसीलदार द्वारा इंतकाल स्वीकृत किये गये तथा निरस्त किये गये।

सम्पति अन्तरण अधिनियम की धारा 51 में स्पष्ट प्रावधान है कि जिस सम्पति के हकों के बारे में न्यायिक कार्यवाहियॉ विचाराधीन है, न्यायिक निर्णय तक ऐसी सम्पतियों का अन्तरण नहीं किया जा सकता। अपीलाधीन प्रकरण में न्यायालयों में विचाराधीन कार्यवाहियों को प्रभाविक करने के लिए अफरा तफरी की स्थिति में अन्तरण दस्तावेजों का निष्पादन किया गया तथा राजस्व अधिकारियों द्वारा ऐसी कार्यवाहियों का समर्थन किया गया।

मृतक खातेदार सुम्मे खॉ की विरासत एवं अन्तरण दस्तावेजों के आधार पर हकों का निर्धारण नियमित राजस्व वाद के निर्णय के उपरान्त होना है। इसी दौरान परीक्षण न्यायालय द्वारा वादकालीन अन्तरणों को मान्यता देते हुए विवादित भूमि की यथास्थिति के एकतरफा आदेश को निरस्त करने में भूल की है क्योंकि पक्षकारों का वादकालीन आचरण दर्शाता है कि वे एक—दूसरे को उनके हकों से वंचित करने के लिए सिविल एवं न्यायिक कार्यवाहियों की आड़ में बलपूर्वक कब्जा करने

पर आमदा है। ऐसी स्थिति में न्यायालय द्वारा यथास्थिति आदेश जारी करते हुए वाद बहुलता एवं झगड़ें की स्थिति का निवारण करना चाहिए। परीक्षण न्यायालय ने उक्त स्थिति पर गौर किये बिना ही आदेश पारित करने में भूल की है।

8. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट्स की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 05—07—2012 निरस्त किया जाकर विवादित भूमि चक नम्बर 9 केएलडी के मुरब्बा नम्बर 218/59 के किला नम्बर 1 ता 25, चक 9 केएलडी के मुरब्बा नम्बर 218/51 के किला नम्बर 23 ता 25 कुल तादादी 27 बीघा 14 बिस्वा भूमि के पूर्व खातेदार सम्मेखॉ के वारिस सरवर पत्नी सम्मेखॉ, गफूर खॉ, मुमताजखॉ पुत्र सम्मेखॉ, सायरा खातून, सहदा खातून पुत्रियॉ तथा बसा खातून नातिन सम्मे खॉ के प्रत्येक के 1/6 हिस्से पर वाद के अंतिम निर्णय तक सहखातेदारों के कब्जा काश्त एवं वर्तमन रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये जाते है।

9. निर्णय आज दिनांक 19.06.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर